अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

यह अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है और भारत के लिये इसका क्या मतलब है ?

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) संबंधी अधिनियम का पारित होना भारत के बच्चों के लिये एक ऐतिहासिक मौका है। यह अधनियम उस ढांचे का काम करेगा ताकि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा पाने के उसके अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके और सरकार परिवारों एवं समुदायों की मदद से इस जिम्मेदारी की वहन करेगी। दुनिया के कुछ ही देशों में मुक्त तथा बाल–उन्मुखक एवं बाल–अनुकूल शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय प्रावधान किये गये हैं।

''निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा'' क्या है ?

छह से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को पास के स्कूल में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है। बच्चे या उसके माता–पिता को प्राथमिक शिक्षा पाने के कोई प्रत्यक्ष (स्कूल फीस) शुल्क अथवा अप्रत्यक्ष शुल्क (स्कूल पोशाक, पाठ्य पुस्तक, दोपहर का भोजन, यातायात) का वहन नहीं करना होगा। जब तक बच्चे की प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक सरकार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायेगी।

शिक्षा अधिकार अधिनियम को सुनिश्चित करने में समुदाय एवं माता–पिता की क्या भूमिका है ?

किसी भी स्कूल की स्कूल प्रबंधन समिति (एमएससी) स्थानीय अधिकारियों, माता–पिता, अभिभावकों एवं शिक्षकों को मिलाकर बनायी जायेगी। प्रबंधन समिति ही स्कूल विकास योजनायें चलायेगी और सरकार से मिले अनुदानों के इस्तेमाल तथा स्कूल के पूरे वातावरण पर निगरानी रखेगी। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत् स्कूल प्रबंधन समिति में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाओं तथा वंचित समूहों के बच्चों के माता–पिता होंगे। ऐसे समुदाय की भागीदारी स्कूल में बाल हितैषी वातावरण के अलावा लड़कों एवं लड़कियों के लिये पृथक शौचालय, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता तथा साफ–सफाई जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

शिक्षा अधिकार अधिनियम किस तरह बाल हितैषी स्कूल को बढ़ावा देगा ?

सभी स्कूलों को कारगर शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिये ढांचागत सुविधाओं तथा शिक्षकों के बारे में तय मानदंडों का पालन करना होगा। आरंभिक स्तर पर छात्रों के लिये दो प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराये जायेंगे। शिक्षकों को नियमित तौर पर और समय पर स्कूल आना होगा, उन्हें निर्धारित पाठ्यक्रम पूरे कराने होंगे, बच्चों की सीखने की क्षमताओं का आकलन करना होगा तथा नियमित रूप से माता–पिता या अभिभावक के साथ बैठक (पीटीएम) करनी होगी। शिक्षकों की संख्या का निर्धारण दर्जे के बजाय छात्रों की संख्या के आधार पर होगा। सरकार को बच्चों में सीखने के क्षमता में सुधार करने तथा वांछित परिणाम के लिये शिक्षकों को पर्याप्त सहायता

मुहैया करानी होगी। समुदाय एवं नागरिक संगठन स्कूल की गुणवत्ता एवं समानता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुये स्कूल प्रबंधन समिति के साथ मिलकर काम करेंगे। सरकार नीतिगत दिशानिर्देश उपलब्ध करायेगी तथा एक ऐसे वातावरण का निर्माण करेगी ताकि शिक्षा अधिकार अधिनियम हर बच्चे के लिये हकीकत बन सके।

शिक्षा अधिकार अधिनियम भारत में कैसे लागू होगा और वित्त प्रबंधन कैसे होगा ?

केन्द्र और राज्य सरकारें शिक्षा अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिये वित्तीय जिम्मेदारियों को साझे तौर पर उठायेंगी। केन्द्र सरकार खर्च का अनुमान तैयार करेगी और राज्य सरकारों को इस खर्च के एक निर्धारित हिस्से को वहन करना होगा। केन्द्र सरकार वित्त आयोग से राज्य को अतिरिक्त संसाधन मुहैया करने का अनुरोध कर सकती है ताकि शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जा सके। राज्य सरकार इन प्रावधानों को लागू करने के लिये शेष धन मुहैया कराने के लिये जिम्मेदार होगी। शेष धन के इंतजाम में माता–पिता, विकास एजेंसियों, सहकारी संगठनों एवं देश के नागरिकों से मदद ली जायेगी।

शिक्षा अधिकार अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने के मुख्य मुद्दे क्या हैं ?

शिक्षा अधिकार अधिनियम एक अप्रैल से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के आदर्श नियमों के मसौदे को राज्यों के बीच वितरित कर दिया गया है और राज्यों को अपने राज्य नियम बनाकर यथाशीघ्र इन्हें

अधिसूचित करने होंगे। शिक्षा अधिकार अधिनियम बाल मजदूरों, विस्थपित बच्चों, विशेष गैर लाभाविन्त समूहों,या ''सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, भाषायी, लैंगिक या ऐसे ही अन्य कारकों से वंचितों'' तक पहुंचने का एक परिपक्त मंच प्रदान करेगा। आरटीई शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे निरंतर प्रयासों और काफी तेजी से सुधार की आवश्यकता है।

0 अगले पांच साल में 10 लाख से अधिक नए और अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने तथा मौजूदा शिक्षकों में कौशल वृद्धि करने के लिये सृजनात्मक एवं सतत पहल जरूरी है ताकि बच्चों के लिये उनके अनुकूल शिक्षा सुनिश्चित हो सके।

0 भारत में करीब 19 करोड़ उन लड़कियों और लड़कों में से हर बच्चे के लिए अनुकूल शिक्षा सुनिश्चित करने में परिवारों और समुदायों की भी एक बड़ी भूमिका है जिन्हें आज प्राथमिक विद्यालय में होने चाहिए थे।

0 भारी असमानता को खत्म करने की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक है। मिसाल के तौर पर पूर्व स्कूल के क्षेत्र में निवेश करना महत्वपूर्ण रणनीति है।

0 स्कूलों से वंचित 80 लाख बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार समुचित कक्षाओं मे लाना, उन्हें स्कूलों में बने रखने के लिये सहायता देना तथा इसमें सफलता हासिल करना एक बड़ी चुनौती है।

शिक्षा अधिकार अधिनियम के उल्लंघन को रोकने का क्या तंत्र है ?

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकार इस अधिनियम के तहत अधिकारों के संरक्षण के उपायों की समीक्षा करेगा, मिलने वाली शिकायतों की जांच करेगा और उसके पास ऐसे मामलों की सुनवाई के लिये सिविल कोर्ट के समान अधिकार होंगे। राज्यों को एक अप्रैल के बाद से छह माह के भीतर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) अथवा शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आईईपीए) गठित करने होंगे। कोई भी व्यक्ति कोई शिकायत दर्ज करना चाहता है तो उसे स्थानीय प्राधिकरण को लिखित शिकायत देनी होगी। एससीपीसीआर/आईईपीए अपील का फैसला करेगा। किसी भी जुर्म की सजा को समुचित प्रशासन द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी की ओर से मंजूरी मिलनी चाहिये।

शिक्षा अधिकार अधिनियम को किस तरह कार्य रूप दिया जायेगा और किस तरह साकार किया जायेगा ?

विषमताओं को दूर करने तथा गुणवतापूर्ण एवं समान शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये लगातार प्रयास जरूरी है। यूनिसेफ सरकार, नागरिक समाज, शिक्षकों, संगठनों, मीडिया और जानी–मानी हस्तियों में से सभी संबंधित पक्षों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। यूनिसेफ जागरुकता कायम करने के लिये माता–पिता को एकजुट करेगा तथा कार्रवाई का आह्वान करेगा। नीतियां एवं कार्यक्रम तथा डिजाइन/कार्यान्वयन गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तथा उस तक पहुंच में सुधार पर केन्द्रित होगा और यह उन कार्यों पर आधारित होगा जिनसे बच्चों के लिये परिणामों में सुधार हो सके। यूनिसेफ शिक्षा अधिकार अधिनियम के बारे में

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के निगरानी निकायों को मजबूत करने के लिये माता–पिता के साथ मिलकर भी काम करेगा।

मीडिया के प्रश्नों के जवाब और अधिक जानकारी के लिए :

एंजेला वाकर

प्रमुख, एडवोकेसी एंड पार्टनरशिप

फोन :91–98–1810–6093

ई मेल : awalker@unicef.org

एलिस्टेयर ग्रेटरसन

संचार विशेषज्ञ (अंतर्राष्ट्रीय मीडिया)

फोन :91–98–7153–5586

ई मेल : agretarsson@unicef.org

गीतांजलि मास्टर

संचार विशेषज्ञ

फोन : 91–98–1810–5861

ई मेल : gmaster@unicef.org

सोनिया सरकार

संचार अधिकारी (भारतीय मीडिया)

फोन : 91–98–1017–0289

ई मेल : ssarkar@unicef.org